मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 65

20.07.2026 को उत्तर के लिए

एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली

65. **श्री अनिल यशवंत देसाईः**
श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित रेलवे, खनन, बांध/सिंचाई और नई/मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का परियोजना-वार लागत और इन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित समय-सीमा सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूरी देने में होने वाली देरी के क्या कारण हैं और प्रत्येक क्षेत्र में मंजूरी के लिए औसतन कितना समय लगता है;

(ग) परियोजना के क्रियान्वयन और आर्थिक विकास पर इस प्रकार की देरी का क्या प्रभाव पड़ता है;

(घ) सरकार द्वारा मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें कोई प्रस्तावित नीतिगत सुधार या एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली शामिल है; और

(ङ) क्या पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखते हुए समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए कोई क्षेत्र-विशिष्ट उपाय पेश किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के भाग (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत **पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006** जारी की है। समय-समय पर यथा संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों

के अनुसार, इसकी अनुसूची में बताए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा किया जाता है जिसमें सार्वजनिक परामर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों सहित परियोजना से जुड़े सभी पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किया जाता है। ईएसी/एसईएसी की सिफारिशों के आधार पर, पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को प्रदान करने अथवा न करने के लिए प्रस्तावों पर क्रमशः मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा विचार किया जाता है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, ईसी को पर्यावरणीय मुद्दों पर उचित विचार करने और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में निर्धारित शमन उपायों सहित उचित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल करने के बाद प्रदान किया जाता है।

समय-समय पर यथा संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, इसकी अनुसूची में बताई गई 38 श्रेणियों में आने वाली परियोजना कार्यकलापों के लिए पर्यावरण मंज़ूरी आवश्यक है। रेलवे परियोजनाएं यथासंशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। खनन, बांध/सिंचाई और नए/मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित प्रस्तावों का विवरण परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने में लगने वाला औसत समय ईआईए अधिसूचना, 2006 में निर्धारित 105 दिनों की वैधानिक समय सीमा के मुकाबले 57 दिन था।

पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए, मंत्रालय ने हाल के दिनों में, परिवेश पोर्टल (एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल जो सभी प्रकार की सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान किया जाता है) को अद्यतन करके तकनीकी उपायों द्वारा, ईआईए अधिसूचना 2006 में संशोधन करके और विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों (ओएम) द्वारा जारी स्पष्टीकरण/दिशानिर्देशों के माध्यम से कई व्यवस्थित सुधार किए हैं। इन सुधारों में, संदर्भ की शर्तों (टीओआर)/ पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की वैधता बढ़ाना, टीओआर अनुमोदन से पहले आधारभूत डेटा संग्रह में लचीलेपन की अनुमति देना और सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया में सुधार शामिल हैं। इसके अलावा, पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) को पर्यावरण मंजूरी देने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया गया है। जिन पीएसपी को वन मंजूरी या वन्यजीव मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, उनमें नए जलाशयों का निर्माण शामिल नहीं है, और मौजूदा जलाशय के जलमग्न क्षेत्र या भंडारण क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती है, उन्हें अब श्रेणी बी2 परियोजनाएं माना जाता है। मंत्रालय ने ईआईए अधिसूचना, 2006 के परिशिष्ट-9 की मद 6 में भी संशोधन किया है। इसमें रैखिक परियोजनाओं के लिए सामान्य मृदा के निष्कर्षण के काम को पूर्व ईसी (पर्यावरण मंज़ूरी) की छूट देने के लिए ज़रूरी पर्यावरण सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, खनन परियोजनाओं के त्वरित मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए, महत्वपूर्ण, रणनीतिक और परमाणु खनिज खनन परियोजनाओं के लिए पारिवेश पोर्टल के माध्यम से आउट-ऑफ-

टर्न मूल्यांकन शुरू किया गया है। सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट महत्वपूर्ण, रणनीतिक और परमाणु खनिज खनन परियोजनाओं के लिए भी छूट दी गई है, और इन परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा, चाहे प्रस्तावों में पट्टे क्षेत्र शामिल हो या नहीं। इसके अलावा, भूमिगत कोयला खनन परियोजनाओं के लिए संदर्भ की मानक शर्तें और आउट-ऑफ-टर्न मूल्यांकन प्रारम्भ किया गया ।

ऊपर बताए गए सुधारों, खासकर परिवेश पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से मंजूरी प्रबंधन में पेपरलेस गवर्नेंस ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास कार्य मज़बूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ें जिससे पर्यावरण मंज़ूरी प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ती है और साथ ही संधारणीय विकास में भी योगदान मिलता है।
